

भाग-III
सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।
प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/151412/2022

1	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षकों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जी, नहीं।
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	महाप्रबंधक, जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली द्वारा सिंगरौली जिले के वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र जियावन एवं बरगवा में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भूमिगत पाईप लाइन खोलने का कार्य किया जाना है। भूमिगत पाईप लाइन बिछाने हेतु वन मण्डल सिंगरौली की निम्नानुसार वन भूमि प्रभावित हो रही है।

जिला	वन मण्डल	परिक्षेत्र	कक्षा क्रमांक	रकबा हे.में
सिंगरौली	सिंगरौली	जियावन	पीएफ-827	0.0140
			पीएफ-745	0.3205
			पीएफ-749	0.5298
			पीएफ-750	0.4622
			पीएफ-746	0.3772
			पीएफ-747	0.3355
			पीएफ-832	0.1268
			पीएफ-833	0.1036
			पीएफ-781	0.5102
			पीएफ-780	0.0942
			पीएफ-778	0.2296
			पीएफ-779	0.4776

			पीएफ-751	0.2303
			पीएफ-752	0.0295
			पीएफ-755	0.1284
			पीएफ-748	0.2624
			पीएफ-826	0.1976
			आरएफ-815	0.2428
			आरएफ-816	0.0424
			आरएफ-814	0.0488
			आरएफ-756	0.0262
		बरगवाँ	पीएफ-129	0.1434
			आरएफ-108	0.0272
			योग	4.9602

वन मण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा महाप्रबंधक, जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली को 4.9602 हे. वन भूमि व्यपवर्तन हेतु स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई है एवं अनाधिकृत अतिक्रमित क्षेत्र में पानी की पाईप लाइन बिछाने की अनुशंसा नहीं की गई है।

वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल सिंगरौली द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत भूमिगत पाईप लाइन बिछाने हेतु 4.9602 हे. वन भूमि महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली को उपयोग पर देने हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

तिथि :

स्थान:

(राजेश कुमार राय)

भा.व.से.

वन संरक्षक

रीवा वृत्त,रीवा म.प्र.